NOTARY
Smt. Usha Jain
Civil Court Rewa
Reg. No. 5167
GOVT. OF INDIA

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग 2952 - म

1. प्रवीण कुमार तनय श्री गंगा प्रसाद पाठक उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम खडडा, तहसील गुढ जिला – रीवा (म.प्र.)
2. श्याम सिंह तनय स्व. लक्ष्मण सिंह उम्र 44 वर्ष निवासी अमहिया तहसील हुजूर रीवा (म.प्र.)

–निगरानीकर्तागण

बनाम

1. शांति बेवा स्व. हनुमान प्रसाद पाठक
2. चित्रेन्द्र पिता स्व. हनुमान प्रसाद पाठक दोनों निवासी ग्राम खड्डा, तहसील गुढ जिला– रीवा (म.प्र.)

–गैर निगरानीकर्तागण

श्री के. के. त्रिपाठी, अभि० द्वारा आज दि. 2-9-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-9-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

KKTripathi 2-9-16

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील गुढ जिला रीवा म.प्र. का राजस्व प्रकरण क. 7 अ 3/15–16 पारित आदेश दिनांक 10.08.2016 एवं 11.08.2016–24.08.2016

अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्न हैं :–

1. यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया के विरुद्ध निरस्त योग्य है।
2. यहकि निगरानीकर्तागण द्वारा ग्राम खड्डा तह. गुढ जिला रीवा की आराजी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2952–दो / 16 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेशा	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–11–16	1. आवेदकगणों द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 की तहत तहसीलदार, तह गुढ़, जिला–रीवा, म0प्र0 के प्रकरण क्र0 07 / अ–03 / 2015–16 में पारित आदेष दिनांक 11.08.2016 एवं 24.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. आवेदकगणों के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगणों द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2005 व दिनांक 04.01.16 के अनुसार खसरा क्र0 282 / 3 / 1, 282 / 3 / 5 क्रय कर तहसीलदार महोदय, गुढ़ के आदेश दिनांक 05.02.16 के अनुसार नक्शा तरमीम हुआ । अनावेदकगणों द्वारा नक्शा सुधार का अधिकारिताविहीन न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार महोदय, गुढ़ द्वारा प्रकरण को स्थगित कर पुनः प्रारंभ करने में विधि व प्रक्रिया की भूल की जिसे निरस्त किया जाये तथा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया । 3. अनावेदकगणों के अभिभाषक द्वारा तर्क किया गया कि आराजी खसरा क्र0 282 स्थित ग्राम खड्डा, प0ह0 रीठी, तहसील गुढ़, जिला–रीवा अनावेदकगणों	

की पुस्तैनी भूमि है जिसका हिस्साबांट रा0प्र0क्र0 86/अ-27/2013–14 में संलग्न बंटवारा पुल्ली व नजरी नक्शा दिनांक 20.10.14 के अनुसार तहसीलदार महोदय, तहसील गुढ़, जिला–रीवा, म0प्र0 के पातिर आदेश दिनांक 31.10.2014 के अनुसार हुआ था। खसरे में खाता विभाजन कर दिया गया, परन्तु नक्शे में तरमीम की कार्यवाही न होने के कारण गलत चौहद्दी धोखे से विक्रेता रवीन्द्र पाठक से लिखाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा गलत तरमीम किया गया । अतः निगरानी निरस्त का अनुरोध किया गया ।

4. मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । भूमि खसरा क्र0 282 स्थित ग्राम खड्डा, प.ह. रीठी, तहसील गुढ़, जिला–रीवा, म0प्र0 का हिस्साबांट आपसी सहमति से सह भूमिस्वामियों के मध्य तहसीलदार, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्र0 86/अ-27/2013–14 में संलग्न बंटवारा पुल्ली व नजरी नक्शा दिनांक 20.10.2014 के अनुसार पारित आदेश दिनांक 31.10.2014 में खाता विभाजन व नक्शा तरमीम हेतु आदेश दिया गया। जिस आदेश के अनुसार खाता विभाजन किया गया, परन्तु नक्शा तरमीम नहीं किये जाने पर आवेदकगणों द्वारा विक्रेता रवीन्द्र पाठक से गलत चौहद्दी लिखाकर अनावेदकगणों के भाग पर नक्शा तरमीम करा लिया गया, जिसकी पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 21.04.2016 में

किया है। राजस्व निरीक्षक द्वारा विक्रेता रवीन्द्र पाठक के कथन लेखबद्ध किया गया, जिसमें विक्रेता द्वारा विक्रय पत्र में गलत चौहद्दी लेख होना स्वीकार किया है। राजस्व निरीक्षक गुढ़ द्वारा गलत नक्शा तरमीम दिनांक 25.01.2016 लाल स्याही से किया गया, उसे निरस्त किया जाता है तथा राजस्व निरीक्षक गुढ़ को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 86 / अ-27 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2014 के अनुसार संलग्न बटवारा पुल्ली व नजरीनक्शा दिनांक 20.10.2014 के अनुसार नक्शा तरमीम की कार्यवाही सुनिश्चित करें। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य